संचालनालय तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक / तशि / शैक्ष / 4 / 1610 भोपाल, दिनांक 7 जुलाई, 2011

<u>अत्यावश्यक / तत्काल</u>

प्रति

अध्यक्ष / सचिव / प्राचार्य / संचालक,
समस्त इंजीनियरिंग / पोलीटेकनिक / एमबीए / एमसीए / फार्मेसी / एचएमसीटी / आर्किटेक्चर / पीजीडीएम महाविद्यालय,
मध्यप्रदेश।

विषयः– सत्र 2011 के लिये एआईसीटीई द्वारा स्वीकृत नई संस्था, विद्यमान संस्थाओं में नई ब्रांच अथवा प्रवेश क्षमता में वृद्धि की जानकारी उपलब्ध कराने बाबत्।

सभी संस्थानों को सूचित किया जाता है सत्र 2011 के लिये एआईसीटीई द्वारा नये संस्थानों, विद्यमान संस्थाओं में नई ब्रांच तथा प्रवेश क्षमता में वृद्धि की स्वीकृति जारी कर दी गई है।

> मध्यप्रदेश निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम, 2007 के अधीन निर्मित प्रवेश नियम 2008 (मध्यप्रदेश राजपत्र–असाधारण में दिनांक 19 मई, 2011 को संशोधन का प्रकाशन) के नियम 4 उपनियम 1 खण्ड (ख) के अनुसार ''यदि किसी नई संस्था को अनुमति प्रदान की जाती है, या किसी विद्यमान संस्था में स्थानों की संख्या को परिवर्तित किया जाता है या विद्यमान संस्था में दूसरी पारी (सेकण्ड शिफ्ट) प्रारंभ करने की अनुज्ञा उस वर्ष की 30 जून या उसके पहले समुचित प्राधिकारी द्वारा प्रदान की जाती है, तो उसे उस वर्ष के परामर्श (काउंसलिंग) में समाविष्ट किया जा सकेगा, बशर्ते कि संस्था ने संबंधित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता तथा राज्य सरकार से अनुज्ञा प्राप्त कर ली हो तथापि विद्यमान संस्थाओं की स्वीकृत स्थानों की संख्या में परिवर्तन होने की दशा में, उसके लिए संबंधित विश्वविद्यालय से पुनः सम्बद्धता प्राप्त करने की शर्त लागू नहीं होगी।''

उपरोक्त विनियम के प्रकाश में ऐसी संस्थाएं जिन्हें 30 जून, 2011 अथवा उसके पूर्व अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा स्वीकृति जारी की गई है **ऐसी संस्थाएं तत्काल निम्नलिखित दस्तावेज तथा संलग्न प्रोफार्मे सहित व्यक्तिगत रूप से शाखा–4 में जमा करवाएं** जिससे कि उन्हें आगामी आयोजित की जाने वाली काउंसलिंग में सम्मिलित किया जा सकेः–

1. **विद्यमान संस्थानों में नई शाखा / ब्रांच की स्वीकृति की दशा मेंः–**
   - एआईसीटीई के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी स्वीकृति आदेश (वेबसाइट का प्रिंटआउट मान्य नहीं होगा)
   - सम्बन्धित विश्वविद्यालय द्वारा जारी सम्बद्धता प्रमाण–पत्र

2. विद्यमान संस्थानों में प्रवेश क्षमता में परिवर्तन की दशा में:–

- एआईसीटीई के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी स्वीकृति आदेश (वेबसाइट का प्रिंटआउट मान्य नहीं होगा)

3. विद्यमान संस्थानों नाम परिवर्तन की स्वीकृति की दशा में:–

- एआईसीटीई के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी स्वीकृति आदेश (वेबसाइट का प्रिंटआउट मान्य नहीं होगा

4. नये संस्थानों की दशा में:–

- एआईसीटीई के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी स्वीकृति आदेश (वेबसाइट का प्रिंटआउट मान्य नहीं होगा)
- सम्बन्धित विश्वविद्यालय द्वारा जारी सम्बद्धता प्रमाण–पत्र
- संचालनालय तकनीकी शिक्षा मध्यप्रदेश से ₹100/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर नोटरी किया हुआ बंध–पत्र (प्रारूप संचालनालय तकनीकी शिक्षा के शाखा–4 से प्राप्त किया जा सकता है)

नई संस्थाएं एवं नई शाखा स्वीकृत होने की दशा में संस्थाएं यह सुनिश्चित करें सम्बन्धित विश्वविद्यालय की सम्बद्धता के बिना प्रस्ताव इस कार्यालय में जमा न करायें।

हस्ता0/–
संचालक तकनीकी शिक्षा,
मध्यप्रदेश

प्रतिलिपि:– कुलसचिव, ...

कृपया नये संस्थानों/विद्यमान संस्थानों में नई शाखाओं के लिये एआईसीटीई द्वारा 30 जून, 2011 अथवा उसके पूर्व जारी स्वीकृति की दशा में संस्थानों को शीघ्र सम्बद्धता प्रमाण–पत्र जारी करने का कष्ट करें जिससे कि इन संस्थानों/संस्थानों में स्वीकृत नई ब्रांच को काउंसलिंग में सम्मिलित किया जा सके।

हस्ता0/–
संचालक तकनीकी शिक्षा,
मध्यप्रदेश

//विद्यमान संस्थानों के लिये//	
संस्था का नाम (एआईसीटीई के आदेश में लिखे अनुसार)	
संस्था का नया नाम यदि एआईसीटीई द्वारा मान्य किया गया हो	
अध्यक्ष/सचिव का नाम एवं मोबाईल नंबर	
प्राचार्य/संचालक का नाम एवं मोबाईल नंबर	
संस्था का टेलीफोन नंबर	
संस्था का फैक्स नंबर	
संस्था का ई मेल आईडी	
संस्था की वेबसाईट	
संस्था का पता	
पाठ्यक्रम का नाम	

ब्रांच का नाम	सत्र 2010–11 में स्वीकृत प्रवेश क्षमता	सत्र 2011–12 में स्वीकृत प्रवेश क्षमता (30 जून, 2011 अथवा उसके पूर्व के आदेशानुसार)	नई ब्रांच/प्रवेश क्षमता में वृद्धि की दशा में सत्र 2011–12 में प्रारंभ करने के इच्छुक हैं अथवा नहीं (हाँ/नहीं)

अध्यक्ष/सचिव के हस्ताक्षर एवं सील

प्राचार्य/संचालक के हस्ताक्षर एवं सील

<table>
<tr><td colspan="3">//नये संस्थान के लिये//</td></tr>
<tr><td>संस्था का नाम
(एआईसीटीई के आदेश में लिखे अनुसार)</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>अध्यक्ष/सचिव का नाम एवं मोबाईल नंबर</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>प्राचार्य/संचालक का नाम एवं मोबाईल नंबर</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>संस्था का टेलीफोन नंबर</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>संस्था का फैक्स नंबर</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>संस्था का ई मेल आईडी</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>संस्था की वेबसाईट</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>संस्था का पता</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>स्वीकृत पाठ्यक्रम का नाम</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>क्रमांक</td><td>ब्रांच का नाम</td><td>स्वीकृत प्रवेश क्षमता</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

अध्यक्ष/सचिव के हस्ताक्षर एवं सील

प्राचार्य/संचालक के हस्ताक्षर एवं सील